बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी तथा न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कम्युनिकेशन गाज़ियाबाद के मध्य परस्पर सहमति पत्र या समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

1.परस्पर सहमति पत्र या समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

1.1. यह परस्पर सहमति पत्र समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding)उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश अधिनियम 1973 की धारा 10 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से सम्बद्ध न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कम्युनिकेशन (निस्कोर्ट मीडिया कॉलेज) A-2, Sector-1, वैशाली, गाज़ियाबाद, उ०प्र० के बीच दिनांक 09.06.2022 को किया गया और इसमें परस्पर सहमति के महत्वपूर्ण बिन्दु निर्धारित किए गए।

1.2. इस परस्पर सहमति पत्र या समझौता ज्ञापनमें बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी को तथा निस्कोर्ट मीडिया कॉलेज गाज़ियाबाद इसके बाद समस्त स्थानों पर "विश्वविद्यालय" तथा "संस्थान" के रूप में पढ़ा जाए। विद्यार्थी और शिक्षक से तात्पर्य दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से है।

2. प्रस्तावना

2.1. विश्वविद्यालय तथा संस्थान के मध्य शैक्षणिक अनुसंधान संबंधी सहयोग के लिए घनिष्ठ संबंध की आवश्यकता को अनुभव किया गया है ताकि दोनों संस्थाओं में शैक्षणिक एवं अनुसंधानपरक क्रियाकलाप से जुड़े सामान्य हितों को साझा किया जा सके। तदनुसार निम्नलिखित व्यापक क्षेत्र पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया।

2.2. इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और संस्थान के विद्यार्थी बुन्देली उसकी भाषिक संस्कृति और उसके लोक साहित्य की विभिन्न विधाओं से परिचित होंगे एवं उस पर आधारित डॉक्यूमेंटरी, शार्ट फिल्म, रेडियो डॉक्यूमेंटरी निर्माण और प्रिंट रिसर्च आदि कर करेंगे।

2.3. विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के मानकीकरण, हिंदी के स्वरूप में अद्यतन बदलाव एवं हिंदी व्याकरणिक चिंतन के विकास की प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक पक्षों को तार्किक ढंग से समझने और डॉक्यूमेंटरी, शार्ट फिल्म, रेडियो डॉक्यूमेंटरी निर्माण और प्रिंट रिसर्च आदि प्रयोग में लाने का अवसर मिलेगा।

2.4. विद्यार्थी हिंदी भाषा शिक्षण की प्रासंगिक विधियों और समस्याओं के अध्ययन-विश्लेषण से जुड़े विषयों पर कार्य करेंगे।

2.5. विद्यार्थी हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों से जुड़े प्रासंगिक विषयों और समस्याओं के अध्ययन-विश्लेषण का कार्य करेंगे।

2.6. विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और संस्थान के विद्यार्थी शोध-अध्ययन से जुड़े आपसी सहमति के अन्य प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक दूसरे के अनुभव से लाभान्वित होंगे।

3. सामान्य नियम

3.1 विश्वविद्यालय में सामान्य रुचि के क्षेत्र में साहित्य एवं भाषा शिक्षण के विशेषज्ञ आचार्य एवं सह-आचार्य हैं जिनके पास विशेषज्ञता के अपने-अपने क्षेत्रों में स्नातक एवं पी-एच.डी. स्तर पर अनुसंधान कराने और संचालित करने की पर्याप्त क्षमता है।

3.2 संस्थान में भाषा, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य और सह-आचार्य हैं जिनके पास शिक्षण अनुसंधान आधारित सामग्री निर्माण का पर्याप्त अनुभव है और ऑडियो वीडियो तथा न्यू मीडिया से समबन्धित लघुशोध कार्य कराने की पर्याप्त क्षमता है।

4. शैक्षणिक एवं विकास कार्यक्रम

4.1 विश्वविद्यालय एवं संस्थान के संकाय के हित के विषयों / क्षेत्रों में दोनों संस्थाओं के सदस्य शिक्षण और डॉक्टरेट अनुसंधान कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसे पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय और संस्थान के बीच संकाय सदस्यों / शोध छात्रों / विद्यार्थियों का आदान-प्रदान करेंगे।

4.2 विश्वविद्यालय एवं संस्थान के शोधरत छात्रों को किसी भी संस्थान में अपने शोध कार्य का एक हिस्सा/पूरा काम करने की अनुमति दी जाएगी, और संस्थान एवं विश्वविद्यालय प्रवास के दौरान शोध छात्रों/छात्राओं को सभी आवश्यक सुविधाएं और विशेषज्ञता प्रदान करेंगे। अध्ययन करते समय विद्यार्थियों को उस संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार शासित किया जाएगा, जहाँ विद्यार्थी शोध कार्य कर रहा/रही है।

4.3 अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त शोध कार्य संयुक्त रूप से प्रकाशित किये जाएंगे।

4.4 विश्वविद्यालय एवं संस्थान के शोध छात्रों/छात्राओं को संस्थान/विश्वविद्यालय में नियमानुसार न्यूनतम/रियायती शुल्क देने पर उपलब्ध आवास एवं भोजन सुविधा प्रदान की जाएगी|

4.5 विश्वविद्यालय एवं संस्थान के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी संस्थान एवं विश्वविद्यालय में शैक्षणिक भ्रमण के लिए समय-समय पर जायेंगे| समस्त शिक्षक इस भ्रमण हेतु परस्पर सहयोग करेंगे ताकि विद्यार्थी दोनों संस्थानों की परिधि में आने वाले स्थलों के साहित्यकारों एवं उनसे जुड़ी कृतियों से अवगत हो सकें|

5. अवधि और समझौता ज्ञापन की अन्य शर्तें

5.1 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से 05 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के तहत दोनों पक्षों की सहमति से यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

5.2 इस बात पर भी सहमति बनी है कि विश्वविद्यालय के कुलपति और संस्थान के निदेशक बैठकों के माध्यम से इस समझौता ज्ञापन की प्रगति की निगरानी करेंगे| समीक्षा समिति (कुलपति, बुन्देलखण्ड

विश्वविद्यालय, झाँसी तथा निदेशक, सहित) द्वारा परिवर्तन /सुझाव के रूप में कोई भी परिवर्तन / संशोधन /समाप्ति दोनों के लिए बाध्यकारी होंगे|

5.3 यह समझौता ज्ञापन उल्लिखित नियमों और शर्तो के प्रति संबंधित संस्थानों की प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। इस समझौता ज्ञापन को किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा संशोधित या समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि समाप्ति या संशोधन का नोटिस अधिसूचना पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उस तारीख से तीस दिनों से पहले दिया जाए।

5.4 इस समझौते की कोई भी कानूनी वैधता एवं बाध्यता नहीं है यह आपसी सहमति एवं समन्वय से क्रियान्वित होगा।

निस्कोर्ट मीडिया कॉलेज गाज़ियाबाद की ओर से

रॉबिन्सन सिल्वेस्टर

(रॉबिन्सन रोड्रिक्स सिल्वेस्टर)
निदेशक,
निस्कोर्ट मीडिया कॉलेज, गाज़ियाबाद

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की ओर से

(विनय कुमार सिंह)
कुलसचिव,
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी

साक्षीगण

(डॉ ऋतु दुबे तिवारी)
प्राचार्य,
निस्कोर्ट मीडिया कॉलेज, गाज़ियाबाद

(डॉ पुनीत बिसारिया)
अध्यक्ष,
हिंदी विभाग, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी